137

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 749–पीबीआर/2016 निगरानी – विरूद्ध– आदेश दिनांक 19–1–2016 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 422/2013–14 अपील

1– मूलचन्द पुत्र हरचरण शर्मा
2– घनश्याम पुत्र हरचरण शर्मा
निवासीगण आरोन
तहसील आरोन जिला गुना ———आवेदकगण

विरूद्ध

हरनारायण पुत्र नन्नूलाल शर्मा
कस्वा आरोन जिला गुना ———अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री बिनोद श्रीवास्तव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री वाई.एस. भदौरिया)

आ दे श

(आज दिनांक 18–04–2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 422/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 19–1–16 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मौजा आरोन स्थित निम्नांकित भूमि उसके नाम के सामने अंकित भूमिस्वामियों के नाम शासकीय अभिलेख में इस प्रकार दर्ज है –

1– सर्वे क्रमांक 1029 मि. रकबा 0.317 है. हरिनारायण पुत्र नन्नूलाल
2– सर्वे क्रमांक 1029 रकबा 0.418 है. कालूराम,राजेन्द्रकुमार, जगदीश, रमेश
3– सर्वे क्रमांक 1030/3 रकबा 0150 है. हरिनारायण पुत्र नन्नूलाल

उपरोक्त सर्वे नंबरों की भूमि का फर्द बटांकन करने हेतु पटवारी हलका नंबर 20 ने तहसीलदार आरोन के समक्ष बटांकन प्रस्ताव प्रस्तुत प्रस्तुत किया। तहसीलदार आरोन ने प्रकरण क्रमांक 6 अ–3/11–12 पॅजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक

5-5-12 पारित करके सर्वे क्रमांक 1029/1 रकबा 0.317 है. एंव 1030/2/1 रकबा 01150 हैक्टर हरिनारायण पुत्र नन्नूलाल के हित में एंव 1029/2 रकबा 0.418 हैक्टर कालूराम, राजेन्द्रकुमार, जगदीश, रमेश पुत्रगण मांगीलाल ब्राहमण के नाम बटांकन स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी आरोन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी आरोन ने प्रकरण क्रमांक 73/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-10-13 से अपील स्वीकार करते हुये तहसीलदार आरोन के आदेश दिनांक 5-5-12 को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 422/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 19–1–16 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी आरोन का आदेश दिनांक 22-10-13 निरस्त कर दिया। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के क्रम में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी आरोन ने आदेश दिनांक 22-10-13 से तहसीलदार के आदेश को इस आधार पर निरस्त किया है कि हरिनारायण पुत्र नन्नूलाल ब्राहण ने भूमि केता कल्लोवाई पुत्री विहारी धोबी से विक्रय पत्र दिनांक 9-8-90 से सर्वे नंबर 1029 रकबा 0.836 में से रकबा 0.418 है. एंव विक्रय पत्र दिनांक 8-5-96 से सर्वे नं. 1030/3 रकबा 0.157 हैक्टर क्रय की है जिसे ध्यान में रखते हुये पटवारी ने खातेदार हरिनारायण के फर्द बटांकन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जबकि अन्य हितबद्व सहखातेदारों की भूमि भी सर्वे नंबर 1029, 1030 में है उनके फर्द बटांकन प्रस्ताव भी एक साथ प्रस्तुत करना चाहिये थे। पटवारी व्दारा जो फर्द बटांकन के प्रस्ताव दिये हैं उन पर केवल हरिनारायण के हस्ताक्षर है एंव केवल हरिनारायण की ही बटाकंन प्रस्ताव पर सहमति ली गई है अन्य खातेदारों की सहमति नहीं ली गई है उन्हें बुलाया तक नहीं है तथा पक्षकार भी नहीं बनाया गया है।

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर ने आदेश दिनांक 19-1-16 से अनुविभागीय अधिकारी आरोन के आदेश दिनांक 22-10-13 को इस आधार पर निरस्त किया है कि प्रतिअपीलार्थीगण विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। प्रतिअपीलार्थीगण को अनुविभागीय अधिकारी आरोन के समक्ष अपील मेमो के साथ पक्षकार बनने वावत् अनुमति आवेदन प्रस्तुत करना था जो नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय में जो पक्षकार नहीं है उसे अपील करने का अधिकार न होना अपर आयुक्त ने माना है।

1. **गोविन्दराम विरूद्व झीमीवाई 1988 J L J 229 एंव रामचन्द्र विरूद्व दत्रात्रेय J L J 344 के न्याय दृष्टांत है कि किसी पक्षकार का यह मूलभूत या नैसर्गिक न्याय का अधिकार नहीं है कि वह मामले को अपील में ले जाय, यह अधिकार अधिनियम के अभिव्यक्त उपबंध द्वारा ही दिया जा सकता है, अर्थात अपील अधिनियमिति की श्रृष्टि है।**
2. **अब्दुल रहीम विरूद्व म्युनिसपल कमेट रायपुर 1965 J L J 1112 सर्वोच्च न्यायालय एंव शॅकर सिंह बनाम जगन्नाथ सिंह 2014 रा.नि. 118 के न्याय दृष्टांत है कि आदेश से व्यथित व्यक्ति ही अपील कर सकता है और आदेश से व्यथित व्यक्ति वही माना जा सकता है जो निचले न्यायालय में पक्षकार रहा हो, जो व्यक्ति निचले न्यायालय में पक्षकार नहीं था उसे अपील करने का अधिकार नहीं है।**

उपरोक्त कारणों से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा आदेश दिनांक 19–1–16 में निकाले गये निष्कर्ष उचित है जिनमें हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 422/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 19–1–16 उचित होने से यथावत् रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर